न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :–उमर दीन खान,
आई.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :–21/2020

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक,झुंझुनूं।
–बनाम–
प्यारेलाल पुत्र महाबीर, जाति जाट, उम्र 35 वर्ष, निवासी अरडावता, पुलिस थाना चिडावा, जिला झुंझुनूं।

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 खण्ड (ख)(5)
राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति :–
1. सरकार की ओर से :–श्री सहायक लोक अभियोजक (प्रथम)
2. गैर सायल की ओर से :– श्री राजेश श्योराण

–निर्णय–

दिनांक 27.01.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू ने दिनांक 06.10.2020 को गैरसायल प्यारेलाल पुत्र महाबीर, जाति जाट, उम्र 35 वर्ष, निवासी अरडावता, पुलिस थाना चिडावा, जिला झुंझुनूं के खिलाफ इस्तगासा पेश किया कि प्यारेलाल पुत्र महाबीर, जाति जाट, उम्र 35 वर्ष, निवासी अरडावता, पुलिस थाना चिडावा, जिला झुंझुनूं का रहने वाला है जो आदतन अपराधी है। गैरसायल के विरूद्व जुआ व शराब तस्करी तथा मारपीट करने के कुल 06 प्रकरण दर्ज है। इसकी आपराधिक गतिविधियां निरन्तर बढ रही है। आम नागरिक इसके खिलाफ थाने पर रिपोर्ट दर्ज नही कराते है तथा ना ही कोई इसके विरूद्व कोई गवाही देने को तैयार है। गैरसायल का अपने गांव व कस्बा चिडावा मे भय व्याप्त है। इसकी आपराधिक गतिविधियों से युवा पीढी एवं समाज पर विपरीत प्रभाव पडा रहा है। उक्त शख्स द्वारा किये गये अपराधों मे माननीय न्यायालय द्वारा सजा एव विचाराधीन अपराधों का विवरण निम्नानुसार है:–

1. अभियोग संख्या 138/05 दिनांक 24.06.2005 धारा 147, 148, 149, 447, 323 भादस थाना चिडावा में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 98/05 दिनांक 30.06.2005 को न्यायालय में पेश किया गया जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने राजीनामा दोषमुक्त किया है।
2. अभियोग संख्या 42/11 दिनांक 12.02.2011 धारा 19/54 आबकारी अधि0 थाना चिडावा में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 47/11 दिनांक 07.04.2011 को न्यायालय में पेश किया गया जो न्यायालय मे विचाराधीन है।
3. अभियोग संख्या 53/12 दिनांक 31.01.2012 धारा 143, 341, 323 भादस थाना चिडावा, में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 50/12 दिनांक 19.03.2012 को न्यायालय में पेश किया गया जो न्यायालय मे विचाराधीन है।
4. अभियोग संख्या 53/14 दिनांक 25.01.2014 धारा 13 आरपीजीओ थाना चिडावा, में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 18/14 दिनांक 31.01.2014 को न्यायालय में पेश किया गया जिसमे अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 50 रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।
5. अभियोग संख्या 65/14 दिनांक 01.02.2014 धारा 13 आरपीजीओ थाना चिडावा, में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 24/14 दिनांक 16.02.2014 को न्यायालय में पेश किया गया जिसमे अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 50 रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।
6. अभियोग संख्या 498/15 दिनांक 23.11.2015 धारा 143, [illegible] 354, 506 भादस थाना चिडावा, में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 275/15 [illegible] .2015 को न्यायालय में पेश किया गया जो न्यायालय मे विचाराधीन है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.03.04 15:30:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
झुंझुनूं

इस प्रकार उक्त प्यारेलाल पुत्र महाबीर, जाति जाट, उम्र 35 वर्ष, निवासी अरडावता, पुलिस थाना चिडावा, जिला झुंझुनूं का यह कृत्य राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3/2 के खण्ड (ख) उपखण्ड (5) की परिभाषा में पूर्ण रूप से आता है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावें।

इस्तगासा पेश होने पर गैर सायल को उसके खिलाफ लगाये आरोपों की सूचना को नोटिस देकर तलब किया गया तथा दिनांक 03.11.2020 को गैरसालय न्यायालय हाजा में उपस्थित हुआ। गैरसायल द्वारा प्रकरण मे कोई जबाब प्रस्तुत नही किया गया। आज गैरसायल व उसका वकील अनुपस्थित। गैरसायल के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान एपीपी–1 ने बताया कि गैर सायल के खिलाफ पुलिस थाना चिडावा में निम्न अभियोग दर्ज होकर न्यायालय में चालान पेश किये गये हैं–

1. अभियोग संख्या 138/05 दिनांक 24.06.2005 धारा 147, 148, 149, 447, 323 भादस थाना चिडावा में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 98/05 दिनांक 30.06.2005 को न्यायालय में पेश किया गया जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने राजीनामा दोषमुक्त किया है।
2. अभियोग संख्या 42/11 दिनांक 12.02.2011 धारा 19/54 आबकारी अधि0 थाना चिडावा में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 47/11 दिनांक 07.04.2011 को न्यायालय में पेश किया गया जो न्यायालय मे विचाराधीन है।
3. अभियोग संख्या 53/12 दिनांक 31.01.2012 धारा 143, 341, 323 भादस थाना चिडावा, में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 50/12 दिनांक 19.03.2012 को न्यायालय में पेश किया गया जो न्यायालय मे विचाराधीन है।
4. अभियोग संख्या 53/14 दिनांक 25.01.2014 धारा 13 आरपीजीओ थाना चिडावा, में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 18/14 दिनांक 31.01.2014 को न्यायालय में पेश किया गया जिसमे अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 50 रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।
5. अभियोग संख्या 65/14 दिनांक 01.02.2014 धारा 13 आरपीजीओ थाना चिडावा, में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 24/14 दिनांक 16.02.2014 को न्यायालय में पेश किया गया जिसमे अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 50 रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।
6. अभियोग संख्या 498/15 दिनांक 23.11.2015 धारा 143, 341, 323, 452, 354, 506 भादस थाना चिडावा, में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 275/15 दिनांक 30.11.2015 को न्यायालय में पेश किया गया जो न्यायालय मे विचाराधीन है।

इस प्रकार गैर सायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधि0 1975 की धारा 2 खण्ड (ख) के उपखण्ड (5) में अंकित धारा के अधीन 3 बार दोषसिद्ध होने के कारण गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसे झुंझुनू जिले से निष्कासित किया जावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस विद्वान एपीपी–1 पर ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात/साक्ष्य के मुताबिक गैरसायल के खिलाफ पुलिस थाना चिडावा, जिला झुन्झुनू में अभियोग संख्या 138/05 दिनांक 24.06.2005 धारा 147, 148, 149, 447, 323 भादस, अभियोग संख्या 42/11 दिनांक 12.02.2011 धारा 19/54 आबकारी अधि0, अभियोग संख्या 53/12 दिनांक 31.01.2012 धारा 143, 341, 323 भादस, अभियोग संख्या 53/14 दिनांक 25.01.2014 धारा 13 आरपीजीओ, अभियोग संख्या 65/14 दिनांक 01.02.2014 धारा 13 आरपीजीओ, अभियोग संख्या 498/15 दिनांक 23.11.2015 धारा 143, 341, 323, 452, 354, 506 भादस में पुलिस थाना चिडावा, जिला झुन्झुनू में दर्ज हुई थी जिसकी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत हुई है। इसकी चार्जशीट न्यायालय में पेश हुई थी। जिनमें माननीय न्यायालय द्वारा गैरसायल प्यारेलाल को क्रमशः राजीनामा दोषमुक्त, विचारा[illegible] जुर्माना 50 रूपये, जुर्माना 50 रूपये, न्यायालय मे विचाराधीन है की सजा से दंडित किय[illegible]र सायल प्यारेलाल राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 के अन्तर्गत 3 बार अपराध[illegible] गैरसायल बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहने से जाहिर है कि [illegible] स्वीकार्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.03.04 15:30:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
झुंझुनूं

(59)

है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/सबूत को दृष्टिगत रखते हुए मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि गैरसायल यदि इस जिले में बना रहता है तो वह ऐसे अपराधो की पुनरावृति में पुनः लगकर युवा पीढी को ऐसी सामाजिक बुराई के अपराध में संलिप्त कर उन्हे दिशा भ्रमित कर सामाजिक व्यवस्था को भंग कर सकता है तथा आम जन की जान माल को नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 3 (ख) (।।) मे अंकित विश्वास के कारणों के कारण गैरसायल को इस जिले से निष्कासित करना न्यायोचित व आवश्यक समझता हूं।

अतः प्यारेलाल पुत्र महाबीर, जाति जाट, उम्र 35 वर्ष, निवासी अरडावता, पुलिस थाना चिडावा, जिला झुंझुनूं को राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(ख) (ा) के तहत 15 दिन की अवधि के लिए झुन्झुनू जिले की सम्पूर्ण सीमा से निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त 15 दिन की अवधि में गैर सायल कोतवाली चुरू क्षेत्र में रहेगा तथा वह प्रतिदिन कोतवाली में उपस्थिति दर्ज करवायेगा तथा थाना कोतवाली चुरू इसकी लगातार सूचना पुलिस थाना कोतवाली झुंझुनूं, जिला झुन्झुनू को देंगे तथा थानाधिकारी थाना कोतवाली झुंझुनूं, जिला झुन्झुनू गैर सायल की गतिविधियों बाबत पाक्षिक सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। इस दौरान गैर सायल ऐसे अपराध एवं अन्य असमाजिक गतिविधियों में शामिल नहीं रहेगा । यह निर्णय दिनांक 27.01.2021 के पश्चात 07 दिवस के बाद से प्रभावी होगा। निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक झुन्झुनू को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/01/21

(उमर दीन खान)
जिला मजिस्ट्रेट,
झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.03.04 15:30:16 IST
Reason: SelfAttested